कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला बस्तर जगदलपुर

//अधिसूचना//

क्रमांक/क/भू-अर्जन/01/अ-82/2023-24 जगदलपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2024

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा 19 (2) के तहत् यह घोषित किया जाता है दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18, विद्या ज्योति स्कूल के सामने से गायत्री नगर तक (चित्रकोट रोड बिनाका माल के सामने गली) में रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु ग्राम जगदलपुर देहात, प0ह0नं0 05, राजस्व निरीक्षक मंडल जगदलपुर, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित निजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे।

क्र0	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयय	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें।
01	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था।	लागू नही होता।
02	भूमि के लिए भूमि	लागू नही होता।
03	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नही होता।
04	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमाक एफ-7-4/सात-1/2015 दिनांक 29.08.2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 की अनुसूची "दो" की कंडिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा।
05	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान	लागू नही होता।
06	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नही होता।
07	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नही होता।
08	कारीगारों, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान	लागू नही होता।
09	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नही होता।
10	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नही होता।
11	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नही होता।

2/ तद्नुसार आज दिनांक 29/04/2024 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(विजय दयाराम के.)
कलेक्टर, जिला बस्तर
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला बस्तर, जगदलपुर

'अधिसूचना''

क्रमांक / क / भू–अर्जन / 01 / अ–82 / 2023–24 जगदलपुर दिनांक 29 अप्रेल, 2024

चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे अनुसूची में वर्णित भूमि की दलपत सागर वार्ड क्रमांक 18, विद्या ज्योति स्कूल के सामने से गायत्री नगर तक (चित्रकोट रोड बिनाका माल के सामने गली) में रोड एवं नाली निर्माण कार्य हेतु ग्राम जगदलपुर देहात, प0ह0नं0 05, राजस्व निरीक्षक मंडल जगदलपुर, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर स्थित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19(1) के तहत् यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :–

अनुसूची

भूमि का वर्णन :–

01/ जिला – बस्तर
02/ तहसील – जगदलपुर
03/ ग्राम/नगर – जगदलपुर देहात, प0ह0नं0 05
04/ भूमि का क्षेत्रफल– 0.053 हेक्टेयर

क्र0	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	99/1/4 में से	0.053
योग	99/1/4 में से	0.053

01/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी जगदलपुर, जिला बस्तर तथा आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है।

02/ प्रस्तावित भू–अर्जन में किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(विजय दयाराम के.)
कलेक्टर,जिला बस्तर
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Scanned with OKEN Scanner